[2014] 8 एस. सी. आर. 424

एच. डोहिल कंस्ट्रक्शंस कं. (पी) लिमिटेड

बनाम

नाहर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और अन्य

(सिविल अपील संख्या 7886-7887/ 2014)

20 अगस्त, 2014

[न्यायाधिपति फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला और न्यायाधिपति शिवा कीर्ति सिंह]

देरी/अवधि बीत जाना : अपील दायर करने में देरी - नियमित प्रथम अपील दाखिल करने में 9 दिन की देरी और उसे दोबारा दाखिल करने में 1727 दिन की देरी - उच्च न्यायालय ने देरी को माफ कर दिया और भुगतान के अधीन अपील स्वीकार कर ली। दूसरे पक्ष की लागत - माना गया: परिसीमा का कानून ठोस सार्वजनिक नीति पर आधारित है और इसलिए यह सिद्धांत कि वास्तविक कारणों के अभाव में देरी की माफी के लिए आवेदनों को सख्ती से समझा जाना चाहिए - महत्व रखता है - अदालतों को पैमाने पर वजन करने की आवश्यकता होती है दोनों पक्षों के संबंध में न्याय का संतुलन और इस सिद्धांत को उदारवादी दृष्टिकोण की आड़ में पहले से नहीं दिया जा सकता है, भले ही यह रिफिलिंग से संबंधित हो - मौजूदा मामले में, रिफिलिंग में 1727 दिन की देरी हुई थी - यह उत्तरदाताओं का बाध्य कर्तव्य है रीफ़ाइलिंग में इतनी लंबी देरी को संतोषजनक ढंग से समझाया गया - इस बारे में कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं था कि कैसे उत्तरदाताओं को रजिस्ट्री द्वारा बताए गए दोषों को सुधारने और समय के भीतर अपील पत्रों को रीफ़ाइल करने से अक्षम कर दिया गया था - वास्तव में अपील के कागजात किसी भी अदालत के भुगतान के बिना दायर किए गए थे शुल्क - यह केवल

अपीलकर्ताओं के रुख की पुष्टि करता है कि उत्तरदाताओं के दावे में कोई प्रामाणिकता नहीं थी - इसलिए, उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण में घोर लापरवाही और सत्यता की पूर्ण कमी है और उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को माफ कर दिया गया है दाखिल करने और साथ ही दोबारा दाखिल करने में क्रमशः 9 दिन और 1727 दिन की देरी, बिना कोई कारण बताए, स्वीकार्य कारणों से भी कम, आकस्मिक तरीके से बर्दाश्त नहीं की जा सकती - विवादित आदेश रद्द किया जाता है - उत्तरदाताओं की अपील स्वीकार करने का निर्देश भी निर्धारित किया गया है एक तरफ और इसे खारिज कर दिया जाएगा - देरी की माफी के लिए आवेदन से निपटने के दौरान लागू किए जाने वाले सिद्धांत - हटा दिया गया - सीमा - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 – धारा 144 - 0. 41, नियम 3 ए - मैक्सिम, विजिलेंटिबस नॉन डॉर्मिएंटिबस जुरा सबवेनियंट(कानून उनकी सहायता करता है जो सतर्क हैं, न कि उनकी जो अपने अधिकारों के लिए सोते हैं)।

त्वरित अपीलें नियमित प्रथम अपील दायर करने में 9 दिनों की देरी और उन अपीलों को फिर से दाखिल करने में 1727 दिनों की देरी को माफ करने के उच्च न्यायालय के आदेश से उत्पन्न हुईं। यह तर्क दिया गया कि जब अपीलें अदालती शुल्क के भुगतान के बिना प्रस्तुत की गईं और 0.41 आर के अनुसार अपील दायर करने में 9 दिन की देरी हुई। 3 ए, सीपीसी, देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन दाखिल करना अनिवार्य था, जो उत्तरदाताओं द्वारा नहीं किया गया था; और जब अपील के कागजात दोषों के अनुपालन के लिए लौटाए गए, तो उन्हें पुनः दाखिल करने में 1727 दिनों की भारी देरी हुई।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया-

1.1. धारा 149, सीपीसी अदालत को तय समय सीमा के भीतर अपील पत्र दाखिल किए जाने पर अदालत शुल्क का भुगतान स्वीकार करने का अधिकार देती है।

इसलिए, मौजूदा मामले में, जब अपील 9 की देरी से प्रस्तुत की गई थी उचित न्यायालय शुल्क के भुगतान के बिना दिन और जब आवश्यक न्यायालय शुल्क का भुगतान रिफ़ाइलिंग के समय विधिवत किया गया था, तो यह माना जाना चाहिए कि अदालत शुल्क का ऐसा भुगतान उस तारीख को भुगतान किया गया माना जाएगा जिस दिन अपील मूल रूप से प्रस्तुत की गई थी। धारा 149, सीपीसी के निहितार्थ के बारे में। [पैरा9] [435-बी-सी]

1.2. प्रदीप कुमार* मामले में इस अदालत ने माना है कि ऐसे मामले में अपील के ज्ञापन को अस्वीकार करने के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, जहां अपील के साथ देरी को माफ करने के लिए आवेदन नहीं किया गया है। यदि अपील का ज्ञापन देरी को माफ करने के आवेदन के बिना दायर किया जाता है तो परिणाम घातक नहीं हो सकता है और यदि अपीलकर्ता बाद में अपील खारिज होने से पहले देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन दायर करता है, तो उसे पहले से दायर अपील के ज्ञापन के साथ ही लिया जाना चाहिए। . [पैरा 11] [436-सी-एफ]

*मध्य प्रदेश राज्य. और अन्य. बनाम प्रदीप कुमार एवं अन्य। 2000(3) सप्ल. एससीआर 235 = (2000) 7 एससीसी 372 - पर निर्भर।

2.1. यह सच है कि अपील दायर करने में केवल 9 दिन की देरी हुई और अधिक देरी केवल अपील पत्रों को दोबारा दाखिल करने से संबंधित थी। लेकिन भले ही यह अपीलों को फिर से दाखिल करने से संबंधित हो, इसका शुद्ध परिणाम यह है कि अपीलों को रिकॉर्ड में तभी लिया जा सकता है जब दोबारा दाखिल करने में हुई देरी को माफ कर दिया जाए। इसलिए, यदि रिफ़ाइलिंग उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा दिए गए समय के भीतर की गई थी, तो रजिस्ट्री में कागजात दाखिल करने में कोई गलती नहीं पाई जा सकती थी। लेकिन जब रिफिलिंग के मामले में लगभग पांच साल की

भारी देरी हुई, तो उत्तरदाताओं का यह परम कर्तव्य था कि वे संतोषजनक ढंग से कार्रवाई करें।

रिफिलिंग में इतनी लंबी देरी के बारे में बताया गया। इस बारे में कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं था कि कैसे उत्तरदाताओं को रजिस्ट्री द्वारा बताए गए दोषों को सुधारने और समय के भीतर अपील पत्रों को फिर से दाखिल करने से अक्षम कर दिया गया। उत्तरदाताओं ने केवल पिछले वकील (जिसकी पहचान का खुलासा नहीं किया गया था) पर दोष मढ़ने का प्रयास किया, जिसे सितंबर 2007 में अपील पत्र दाखिल करने के लिए सौंपा गया था। वास्तव में अपील पत्र किसी भी अदालत शुल्क के भुगतान के बिना दायर किए गए थे। यह केवल अपीलकर्ताओं के रुख की पुष्टि करता है कि उत्तरदाताओं के दावे में कोई प्रामाणिकता नहीं थी और वे विशिष्ट प्रदर्शन की राहत न दिए जाने के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने में गंभीरता से रुचि रखते थे। इस संदर्भ में कहावत विजिलेंटिबस नॉन डॉर्मिएंटिबस जुरा सबवेनियंट (कानून उनकी सहायता करता है जो सतर्क हैं, न कि उनकी जो अपने अधिकारों के लिए सोते हैं) मौजूदा मामले पर उपयुक्त रूप से लागू होता है। [पैरा 19-20] [440-डी-एफ; 441-बी-जी]

2.2. ईशा भट्टाचार्जी* में, अन्य बातों के साथ-साथ, देरी की माफ़ी के लिए ऐसे आवेदनों से निपटते समय निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखा गया था:

"(iv) जानबूझकर देरी के कारण के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन वकील या वादी की ओर से घोर लापरवाही पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

(v) देरी की माफी मांगने वाले पक्ष के लिए प्रामाणिकता का अभाव एक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक तथ्य है।

(viii) अत्यधिक देरी और छोटी अवधि या कुछ दिनों की देरी के बीच एक अंतर है, क्योंकि पूर्वाग्रह का पूर्व सिद्धांत आकर्षित होता है जबकि बाद वाले के लिए यह

आकर्षित नहीं हो सकता है। इसके अलावा, पहला सख्त दृष्टिकोण की मांग करता है जबकि दूसरा उदार चित्रण की मांग करता है।

(ix) किसी पार्टी की निष्क्रियता या लापरवाही से संबंधित उसका आचरण, व्यवहार और रवैया ध्यान में रखे जाने वाले प्रासंगिक कारक हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मूल सिद्धांत यह है कि अदालतों को दोनों पक्षों के संबंध में न्याय के संतुलन के पैमाने पर तौलना आवश्यक है और उक्त सिद्धांत को उदार दृष्टिकोण के नाम पर पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है।

(x) यदि दिया गया स्पष्टीकरण मनगढ़ंत है या आवेदन में मांगे गए आधार काल्पनिक हैं, तो अदालतों को सतर्क रहना चाहिए कि दूसरे पक्ष को अनावश्यक रूप से ऐसे मुकदमे का सामना न करना पड़े।" [पैरा 22] [443-एफ-एच; 444-ए-डी]

*ईशा भट्टाचार्जी बनाम रघुनाथपुर नफ़र अकादमी और अन्य की प्रबंध समिति। 2013 (9) एससीआर 782 = (2013)12 एसईसी 649 - पर निर्भर।

2.3. उक्त सिद्धांतों को मामले में लागू करते हुए यह कहा जाना चाहिए कि अपील दायर करने में उचित परिश्रम न दिखाने में उत्तरदाताओं की विफलता और दोबारा दाखिल करने में लगने वाला भारी समय किसी वैध स्पष्टीकरण और संतोषजनक कारणों के अभाव में ही समझा जा सकता है। , जैसा कि उत्तरदाताओं की ओर से घोर लापरवाही और प्रामाणिकता की कमी प्रदर्शित हुई है। [पैरा 23] [444-ई-एफ]

2.4. अपीलकर्ताओं द्वारा उत्तरदाताओं के काउंटर पर दायर प्रत्युत्तर में, अपीलकर्ताओं ने बताया है कि कैसे उन्हें दिल्ली नगर निगम, एनओ के अधिकारियों से संपर्क करके संपत्ति के रखरखाव के लिए एक बड़ी राशि खर्च करनी पड़ी। वर्ष 2004 से आज तक हाउस टैक्स के माध्यम से 28,00,000/- रुपये की बड़ी राशि खर्च की गई और अपील दायर करने के मामले में देरी की अवधि के दौरान संपत्ति में किए गए विभिन्न अन्य सुधार और उत्तरदाताओं द्वारा रिफिलिंग की गई थी। इसलिए, सिद्धांत यह

है कि कानून परिसीमा का निर्धारण ठोस सार्वजनिक नीति पर आधारित है और इसलिए, यह सिद्धांत कि वास्तविक कारणों के अभाव में देरी की माफी के लिए आवेदनों को सख्ती से महत्व दिया जाना चाहिए [पैरा 21] [442-बी-डी]

तमिलनाडु मर्कैंटाइल बैंक, लिमिटेड (इसके अध्यक्ष द्वारा प्रतिनिधित्व), तूतीकोरिन बनाम तमिलनाडु दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम, मदुरै और अन्य 1990 (आई) एलएलएन 457 के तहत अपीलीय प्राधिकरण - अनुमोदित।

2.5. अदालतों को दोनों पक्षों के संबंध में न्याय के संतुलन के पैमाने पर तौलना आवश्यक है और इस सिद्धांत को उदार दृष्टिकोण की आड़ में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, भले ही यह रिफिलिंग से संबंधित हो। रिफिलिंग के मामले में 1727 दिनों की देरी को माफ करने के लिए बिना कारण बताए, संतोषजनक कारणों से भी कम, एक आवेदन दाखिल करने का परिणाम यह होता है कि उत्तरदाता देरी की माफी के मामले में अदालत द्वारा किसी भी रियायत के पात्र नहीं हैं। उत्तरदाताओं ने विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा दायर किया था और जब विचारण न्यायालय ने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए विशिष्ट निष्पादन के लिए राहत नहीं दी और केवल क्षतिपूर्ति दी और यदि उत्तरदाता वास्तव में अपील दायर करके विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री प्राप्त करने के इच्छुक थे, तो उन्होंने को अत्यधिक परिश्रम दिखाना चाहिए था और अपनी अपीलों को पंजीकृत करने में हुई पांच साल की भारी देरी को समझाते हुए उचित कारणों के साथ आगे आना चाहिए था। [पैरा 23] [445-ए-डी]

2.6. इसलिए, उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण में प्रामाणिकता का पूर्ण अभाव है, और उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश में, दाखिल करने के साथ-साथ पुनः भरने में क्रमशः 9 दिन और 1727 दिनों की देरी को बिना किसी आकस्मिक तरीके से माफ कर दिया गया है। कोई भी कारण बताना, स्वीकार्य कारण तो दूर, भी कायम नहीं रखा जा सकता। आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाता है। उत्तरदाताओं की नियमित प्रथम अपीलों

को स्वीकार करने के निर्देश को भी रद्द कर दिया गया है और उक्त अपीलें खारिज कर दी जाएंगी। [पैरा 24] [445-ई-जी]

बी.माधुरी गौड़ बनाम बी. दामोदर रेड्डी (2012) 12 एससीसी 693, मणिबेन देवराज शाह बनाम नगर निगम बृहन् मुंबई (2012) 5 एससीसी 157, एन. बालाकृष्णन बनाम एम. ईकृष्णमूर्ति 1998 (1) पूरक एससीआर 403 = (1998)7 एससीसी 123, महंत बिक्रम दास चेला बनाम वित्तीय आयुक्त, राजस्व, पंजाब, चंडीगढ़ और अन्य 1978 (1) एससीआर 262 = (1977) 4 एसईसी 69 - उद्धृत

वाद कानून संदर्भ:

2012) 12 एस ईसी 693	हवाला दिया गया	पैरा 7
(2012) 5 एस ईसी 157	हवाला दिया गया	पैरा 7
2013 (9) एससीआर 782	निर्भर था	पैरा 7
2000 (3) पूरक एससीआर 235	निर्भर था	पैरा 7
1998 (1) पूरक एससीआर 403	हवाला दिया	पैरा 7
1978 (1) एससीआर 262	हवाला दिया	पैरा 7
1990 (आई) एलएलएन 457	अनुमोदित	पैरा 21

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 7886-7887/2014

2012 के आरएफ.ए नंबर 270 में 2012 के सीएम नंबर 11364 और 11365 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्णय और आदेश दिनांक 16.12.2013 से।

साथ

सिविल अपील संख्या 7888-7889, 7890-7891, 7892-7893, 7894-7895, 7896-7897, 7898-7899, 7900-7901, 7902-7903, 7904-7905, 7906-7907,

7908-7909, 7910-7911, 7912-7913, 7914-7915, 7916-7917, 7918-7919, 7920-7921, 7922-7923, 7924-7925, 7927-7928 और 7930-7931/2014

अपीलकर्ता के लिए अजीत कुमार सिन्हा, राजेश मनचंदा, रजत मनचंदा परमानंद गौड़

प्रतिवादियों की ओर से जयंत भूषण, अजय भार्गव, वनिता भार्गव और करुण मेहता (खेतान एंड कंपनी के लिए)।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

न्यायाधिपति फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला

1. अनुमति स्वीकृत।

2. दी गई अनुमति इन अपीलों में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.12.2013 को सीएम में पारित सामान्य आदेश को चुनौती दी गई है। 2012 के आरएफए नंबर 268 आदि में 2012 के नंबर 11355 और 2012 के 11354 आदि। 2012 के आरएफए नंबर 268 से 2012 के आरएफए नंबर 288 और 2012 के आरएफए नंबर 319 के रूप में 22 नियमित प्रथम अपीलें थीं। जिस पर उपरोक्त विविध याचिकाएँ दायर की गई थीं। इनमें से प्रत्येक अपील में, दो विविध याचिकाएं थीं, एक पहली अपील दायर करने में 9 दिनों की देरी को माफ करने के लिए और दूसरी उन अपीलों को फिर से दाखिल करने में 1727 दिनों की देरी को माफ करने के लिए।

3. आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने कहा कि आवेदनों में बताए गए कारणों के लिए और उन आवेदनों में उत्तरदाताओं के लिए उपस्थित होने वाले वकील को 9 दिनों की देरी के एक सप्ताह के भीतर 50,000/- रुपये की लागत का भुगतान करना होगा। अपील दाखिल करने और अपील दोबारा दाखिल करने में लगे 1727 दिनों को माफ कर दिया गया और आवेदनों का निपटारा कर दिया गया।

4. इसके साथ ही, नियमित प्रथम अपीलों को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया। उसमें यह भी नोट किया गया था कि चूंकि उन विविध याचिकाओं में उत्तरदाताओं द्वारा पहले से ही 22 नियमित प्रथम अपीलें शामिल थीं, जिन्हें सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया था और चूंकि अपील के दोनों सेटों में शामिल प्रश्न सामान्य थे, इसलिए उच्च न्यायालय ने उन अपीलों को निर्देशित किया जिनमें देरी हुई 2008 की आरएफए नंबर 219 के रूप में क्रमांकित उन अपीलों और 29.04.2014 को सुनवाई के लिए 21 अन्य अपीलों के साथ टैग किए जाने को माफ कर दिया गया था।

5. अपील दायर करने और दोबारा दाखिल करने में देरी की इस तरह की माफ़ी से व्यथित होकर, अपीलकर्ता इस न्यायालय के समक्ष इन अपीलों के साथ आगे आए हैं। हमारे सामने, श्री सिन्हा ने अपीलकर्ताओं के वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने अपील दायर करने में 1727 दिनों की लंबी देरी को माफ करने के अलावा अपील दायर करने में 9 दिनों की देरी को माफ करने में गंभीरता से गलती की, बिना प्रारंभिक संतुष्टि के। स्वयं इस बारे में कि क्या कोई कारण था, इतनी लंबी देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण तो बिल्कुल भी नहीं था। विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क होगा कि आक्षेपित निर्णय दिनांक 30.05.2007 का था और अपीलें 06.09.2007 को दायर की गई थीं, जिस तारीख को 9 दिनों की देरी हुई थी, ये अपीलें प्रतिवादियों द्वारा बिना किसी न्यायालय शुल्क के भुगतान के प्रस्तुत की गई थीं, कि जब वर्ष 2008 में विभिन्न दोषों के अनुपालन के लिए अपील पत्र लौटाए गए, तो प्रतिवादियों ने रसीद संख्या 73 दिनांक 11.04.2008 के अनुसार, 11.04.2008 को जांच शुल्क दायर किया। उनके अनुसार, जब अपीलें प्रस्तुत की गईं, तो एक ओर अपील पत्रों को फिर से दाखिल करने के मामले में 1727 दिनों की भारी देरी के लिए कोई कारण नहीं दिखाया गया, बल्कि पर्याप्त कारण भी नहीं दिखाया गया। न्यायालय शुल्क के भुगतान के बिना और 9 दिनों की देरी को माफ करने के लिए उचित आवेदन के बिना, जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश X के नियम 3ए के तहत निर्धारित अनिवार्य था, अपीलकर्ता को यह

कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि अपील समय पर दायर की गई थी। विद्वान वरिष्ठ वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय के अपीलीय पक्ष नियमों का हवाला देते हुए, विशेष रूप से, संशोधित नियम 5(3) जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि एक बार अपील के कागजात किसी भी दोष के अनुपालन के लिए वापस कर दिए जाते हैं और ऐसे कागजात को दोबारा दाखिल नहीं किया जाता है। रजिस्ट्री द्वारा दिया गया समय, जिसकी अधिकतम सीमा केवल 30 दिन है, रिफ़ाइलिंग के मामले में इस तरह की देरी के परिणामस्वरूप किसी भी बाद की तारीख पर अपील दाखिल करने को नई फाइलिंग माना जाएगा, इस स्थिति में देरी 1825 दिन होगी। स्वयं अपील दायर करने में। विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी तर्क दिया कि हालांकि प्रतिवादियों की ओर से यह तर्क दिया गया था कि जिस वकील ने शुरू में अपील दायर की थी, उसने समय पर अपील दायर नहीं करने में चूक की, साथ ही कागजात वापस आने के बाद उसका प्रतिनिधित्व नहीं किया और प्रस्तुत करने में विफल रहा। इस तरह की चूक कब और किस तारीख को हुई और यह किसके द्वारा की गई और इस तरह के रुख को वकील के किसी भी हलफनामे द्वारा समर्थित नहीं किया गया, इसके बारे में अपेक्षित विवरण, उच्च न्यायालय को लगभग 5 वर्षों की इतनी बड़ी देरी को माफ नहीं करना चाहिए था विशेष रूप से स्वयं संबंधित वकील के हलफनामे के अभाव में इस तरह का आकस्मिक तरीका।

6. उपरोक्त प्रस्तुतियों के विपरीत, श्री जयंत भूषण ने उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि अपील दायर करने में केवल 9 दिनों की देरी को माफ करने और अपीलों को फिर से दाखिल करने में 1727 दिनों की देरी को माफ करने से कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं हुआ। अपीलकर्ता(यों) को मुकदमे में पारित उसी फैसले के खिलाफ, अपीलकर्ता(ओं) ने स्वयं पहली अपील की थी जो पहले ही स्वीकार कर ली गई थी और इसमें उत्तरदाताओं की अपील भी स्वीकार कर ली गई थी और उन पहली अपीलों के साथ टैग कर दी गई थी अपीलकर्ता(ओं) द्वारा। विद्वान वरिष्ठ वकील ने

तर्क दिया कि धारा 149 सीपीसी न्यायालय को न्यायालय शुल्क में किसी भी कमी के भुगतान को पूर्ण या आंशिक रूप से माफ करने का अधिकार देती है, इसलिए, पूरे विलंब को माफ करने में उच्च न्यायालय में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है। प्रतिवादियों द्वारा न्यायालय शुल्क का भुगतान बहुत बाद में किया गया था, पहली फाइलिंग के समय नहीं। विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी तर्क दिया कि इस न्यायालय ने अपील दायर करने और दोबारा दाखिल करने में देरी के बीच अंतर किया है और इसलिए, जब उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए कारण ठोस थे और उच्च न्यायालय अपील दायर करने में देरी को माफ करते हुए कारणों से संतुष्ट था। साथ ही उनकी रिफिलिंग और उक्त देरी को माफ करते हुए 50,000/- रुपये की भारी लागत लगाई गई, अपीलकर्ताओं को जो भी पूर्वाग्रह हुआ, उसकी उचित भरपाई की गई और इन परिस्थितियों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। जहां तक आदेश XLI नियम 3 ए सीपीसी का संबंध है, विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार उक्त प्रावधान की व्याख्या इस न्यायालय द्वारा इस आशय से की गई है कि इसे अनिवार्य नहीं माना जा सकता है, बल्कि केवल निर्देशिका और आवेदन दाखिल करना आवश्यक है। प्रारंभिक फ़िफ़िंग की किसी भी बाद की तारीख पर अपील दायर करने में देरी को माफ़ करने के लिए ऐसी प्रारंभिक फ़ाइलिंग की तारीख को वापस ले लिया जाएगा।

7. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने बी.माधुरी गौड़ बनाम बीई दामोदर रेड्डी (2012) 12 एससीसी 693 मणिबेन देवराज शाह बनाम बृहन्मुंबई नगर निगम (2012) 5 एससीसी 157 में रिपोर्ट किए गए मामले में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया। ईशा भट्टाचार्जी बनाम रघुनाथपुर नफ़र अकादमी की प्रबंध समिति और अन्य (2013) 12 सेकंड 649 में रिपोर्ट की गई। उनके समर्थन में उत्तरदाताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील की दलीलें मध्य प्रदेश राज्य के निर्णयों पर निर्भर थीं। और दूसरा बनाम प्रदीप कुमार और दूसरा (2000) 7 एससीसी 372 एन. बालकृष्णन बनाम एम.कृष्णमूर्ति में रिपोर्ट किया गया (1998) 7 एससीसी 123, बी. माधुरी गौड़ (सुप्रा)

और महंत बिक्रम दास जी, हेला बनाम वित्तीय आयुक्त, राजस्व , पंजाब, चंडीगढ़ और अन्य ने (1977) 4 एसईसी 69 में रिपोर्ट की।

8. सबसे पहले, हम उच्च न्यायालय अपीलीय पक्ष नियमों के संशोधित नियम 5 (3) के आधार पर अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील की प्रस्तुति पर ध्यान देना चाहते हैं। उक्त दलील का प्रतिवादियों के विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह कहते हुए विरोध किया कि ऐसा नियम एक मूल क़ानून के तहत निर्धारित सीमा की अवधि के विपरीत नहीं चल सकता है। उत्तरदाताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, जब कोई ठोस कानून सीमा की अवधि निर्धारित करता है और यदि अधिनियम में निहित ऐसे प्रावधान के आधार पर कोई कार्यवाही शुरू की गई थी, तो अपीलकर्ता द्वारा भरोसा किए गए उच्च न्यायालय के नियम निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं। किसी अधिनियम के तहत एक मूल प्रावधान के तहत निहित लाभ शून्य पर। एक सादृश्य के माध्यम से, विद्वान वरिष्ठ वकील ने बताया कि मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के तहत, किसी पुरस्कार के खिलाफ धारा 34 के तहत कोई आपत्ति दर्ज करने के लिए, सीमा की अवधि निर्धारित की जाती है और यदि आपत्ति उक्त अवधि के भीतर दायर की जाती है मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के तहत सीमा, उच्च न्यायालय के नियमों के संशोधित नियम 5(3) पर भरोसा करते हुए, मध्यस्थता अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा की अवधि को इस आधार पर भिन्न नहीं किया जा सकता है कि नियम के अनुसार रिफ़ाइलिंग में देरी हुई थी और इस प्रकार धारा 34 के तहत मूल फाइलिंग को देरी से माना जाना चाहिए जिससे विसंगतियां पैदा होंगी और इसलिए, संशोधित नियम 5(3) पर निर्भरता को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विद्वान वरिष्ठ वकील जो अपीलकर्ता के लिए निष्पक्ष रूप से उपस्थित हुए प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता उक्त प्रस्तुतीकरण पर जोर नहीं दे रहा है और अन्य आधारों पर प्रस्तुतीकरण से संतुष्ट रहेगा। अपीलकर्ताओं द्वारा दिए गए स्पष्ट रुख के आलोक में, हम वर्तमान कार्यवाही में

उक्त मुद्दे पर नहीं जाना चाहते हैं और इसे किसी अन्य उचित मामले में विचार के लिए खुला छोड़ना चाहते हैं।

9. अपीलकर्ताओं की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि प्रतिवादियों का यह दावा कि अपील केवल 9 दिनों की देरी से दायर की गई थी, स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अपील पत्र अदालत के किसी भी भुगतान के बिना दायर किए गए थे। शुल्क और, इसलिए, इसे बिल्कुल भी उचित फाइलिंग नहीं माना जा सकता है। यह तर्क दिया गया कि कोर्ट फीस का भुगतान केवल 2012 में रिफ़ाइलिंग के समय किया गया था और इसलिए, अपील दायर करने में देरी की गणना 1825 दिनों के रूप में की जानी चाहिए। जहां तक उक्त निवेदन का संबंध है, हम इस विवाद में बल पाते हैं

प्रतिवादियों के विद्वान वरिष्ठ वकील ने सीपीसी की धारा 149 पर भरोसा जताया। यदि अपील पत्र नियत तारीख के भीतर दायर किया गया था तो उक्त धारा अदालत को बाद के समय में कोर्ट शुल्क का भुगतान स्वीकार करने का अधिकार देती है। इसलिए, मौजूदा मामले में, जब अपील उचित न्यायालय शुल्क के भुगतान के बिना 9 दिनों की देरी से प्रस्तुत की गई थी और जब आवश्यक न्यायालय शुल्क का भुगतान दोबारा दाखिल करने के समय किया गया था, तो यह माना जाना चाहिए कि न्यायालय शुल्क का ऐसा भुगतान किया गया था। धारा 149 सीपीसी के निहितार्थ के आधार पर उस तारीख को भुगतान किया गया माना जाएगा जिस दिन अपील मूल रूप से प्रस्तुत की गई थी। इसलिए, हमें अपीलकर्ताओं की ओर से दिए गए उक्त तर्क में कोई तथ्य नहीं मिला।

10. तब अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि आदेश XLI नियम 3 ए के तहत, यह निर्धारित किया गया है कि जब परिसीमा अवधि के बाद अपील प्रस्तुत की जाती है तो उसके साथ एक हलफनामा द्वारा समर्थित आवेदन संलग्न होना चाहिए। वे तथ्य जिन पर अपीलकर्ता ने अदालत को संतुष्ट करने के लिए भरोसा

किया था कि निर्धारित अवधि के भीतर अपील को संदर्भित न करने के पर्याप्त कारण थे। अपीलकर्ता(ओं) का तर्क यह था कि चूंकि 9 दिनों की देरी के बाद अपील दायर करने के समय, उक्त 9 दिनों की देरी की माफी के लिए कोई भी आवेदन सहायक हलफनामे के साथ दायर नहीं किया गया था और ऐसा आवेदन केवल दायर किया गया था। वर्ष 2012 में, यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलें उक्त प्रावधान के अनुरूप दायर की गई हैं। आगे यह तर्क दिया गया कि चूंकि देरी को माफ करने के लिए आवेदन केवल वर्ष 2012 में दायर किए गए थे, इसलिए अपील को केवल वर्ष 2012 में दायर किया गया माना जा सकता है, ऐसी स्थिति में अपील दायर करने में देरी 9 दिन नहीं बल्कि 1825 दिन मानी जा सकती है।

11. हालाँकि पहली नज़र में, उक्त प्रस्तुतिकरण प्रशंसनीय प्रतीत होता है, लेकिन प्रदीप कुमार (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय द्वारा उसी प्रस्तुतिकरण को निरस्त कर दिया गया था। उसी प्रस्तुतिकरण पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 10 और 11 में निम्नानुसार निर्णय लिया है:

> "10. यदि ऐसी अपील नियम 3-ए के उप-नियम (1) में उल्लिखित आवेदन के साथ नहीं है तो परिणाम क्या होगा? यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संहिता तुरंत पूर्ववर्ती नियम में इंगित करती है कि अनुपालन न करने का परिणाम क्या होगा नियम 1 की आवश्यकताओं में अपील के ज्ञापन की अस्वीकृति शामिल होगी। फिर भी, उक्त नियम द्वारा अदालत को एक और विकल्प दिया जाता है और वह है अपील के ज्ञापन को एक निर्दिष्ट समय के भीतर संशोधित करने के लिए अपीलकर्ता को वापस करना और फिर वहां। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसे मामले में अपील के ज्ञापन को अस्वीकार करने के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, जहां अपील के साथ देरी को माफ

करने के लिए आवेदन नहीं किया गया है। यदि ऐसी अपील में अपील का ज्ञापन बिना किसी आवेदन के दायर किया जाता है देरी को माफ करने का परिणाम घातक नहीं हो सकता। ऐसे मामले में अदालत यह मान सकती है कि अपील की कोई वैध प्रस्तुति नहीं हुई थी। बदले में, इसका मतलब यह है कि यदि अपीलकर्ता बाद में अपील खारिज होने से पहले देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन दायर करता है। इसे पहले से दायर अपील ज्ञापन के साथ लिया जाना चाहिए। तभी अदालत अपील को विधिपूर्वक प्रस्तुत मान सकती है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है अगर अदालत अपील के ज्ञापन (जो विलंब को स्पष्ट करने वाले किसी आवेदन के साथ नहीं था) को दोषपूर्ण मानकर लौटा देती है। इस तरह के दोष को संबंधित पक्ष द्वारा ठीक किया जा सकता है और बिना किसी देरी के अपील प्रस्तुत की जा सकती है।

11. निःसंदेह नियम 3-ए के उपनियम (1) में "करेगा" शब्द का प्रयोग किया गया है। यह तर्क दिया गया कि "करेगा" शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से इंगित करेगा कि आवश्यकता स्वर में अनिवार्य है। लेकिन इस तरह की अनिवार्यता अपीलकर्ता को स्वयं या अदालत द्वारा बताई गई गलती को सुधारने का मौका नहीं देती है। शब्द "करेगा" इस संदर्भ में अपीलकर्ता पर लगाए गए दायित्व के रूप में व्याख्या की जानी चाहिए। उप-नियम पर अधिक प्रतिबंधात्मक व्याख्या क्यों रखी जानी चाहिए? नियम की बहुत कठोर व्याख्या नहीं की जा सकती और न ही अनुपालन न करने पर अपीलकर्ता को दंडात्मक ठहराया जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि किसी गलती या चूक के कारण कोई अपीलकर्ता अपील के साथ आवेदन (विलंब की व्याख्या करते हुए) दाखिल करना भूल सकता है।"

12. इस न्यायालय की उक्त घोषणा को ध्यान में रखते हुए, जिससे हम पूरी तरह सहमत हैं, उक्त प्रस्तुतिकरण भी खारिज कर दिया गया है।

13. तब अपीलकर्ता(ओं) की ओर से यह तर्क दिया गया कि अपील दायर करने में देरी की अवधि, साथ ही रिफ़ाइलिंग में 1727 दिनों की लंबी देरी को अपीलकर्ता(ओं) द्वारा उचित रूप से समझाया नहीं गया था। हमें यह बताया गया कि अपील दायर करने में देरी को माफ करने के लिए दायर आवेदनों में, साथ ही अपील पत्रों को दोबारा दाखिल करने में देरी की अवधि को कवर करने के लिए वस्तुतः कोई स्पष्टीकरण नहीं था। जब हमने अपील दायर करने में 9 दिनों की देरी को माफ करने के लिए दायर आवेदनों में उत्तरदाताओं की ओर से दायर प्रासंगिक आवेदनों का संदर्भ देकर उक्त प्रस्तुतिकरण की जांच की, तो उत्तरदाताओं का रुख यह था कि निर्णय और डिक्री दिनांक 30.5.2007 के बाद अपीलें डायरी प्रविष्टि संख्या 118619 के माध्यम से 06.09.2007 को या उसके आसपास दायर की गईं, जिसमें 9 दिन की देरी हुई। उत्तरदाताओं ने दावा किया कि अपील दायर करने में देरी का पता उन्हें तब चला जब 20.03.2012 को दोबारा दायर की गई पेपरबुक में आपत्तियां प्राप्त हुईं और इसके संज्ञान में आने के तुरंत बाद उक्त वकील से संपर्क करके निचली अदालत की फाइलों और गुड़गांव का पता लगाया गया और इस प्रक्रिया में अपील दायर करने में 9 दिनों की देरी का पता चला। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि अपील दायर करने में 9 दिनों की कथित देरी अनजाने में हुई थी और यह अपीलकर्ताओं के नियंत्रण में नहीं थी। दिनांक 28.05.2012 के आवेदनों में बताए गए उपरोक्त कथनों के अलावा उक्त आवेदनों में कोई अन्य विवरण नहीं पाया गया। उक्त आवेदनों का प्रतिवादियों द्वारा विरोध किया गया।

14. रिफ़ाइलिंग में 1727 दिनों की देरी को माफ करने के लिए दायर आवेदन में, यह कहा गया था कि 30.05.2007 को ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्णय सुनाए जाने के बाद, वकील को अपील दायर करने का निर्देश दिया गया था, अपील का मसौदा तैयार

किया गया था और था वकील द्वारा हस्ताक्षर के लिए प्रतिवादियों को भेजा गया था, जिसे दाखिल करने के लिए वकील को वापस भेजा गया था और वकील ने डायरी नंबर 118619 के माध्यम से 06.09.2007 को या उसके आसपास अपील दायर करने के बारे में सूचित किया था। प्रतिवादियों के अनुसार, यह विश्वास दिलाया गया कि उनकी ओर से दायर की गई अपील को 2008 के आरएफए नंबर 234 के साथ टैग किया गया था, जो अपीलकर्ता द्वारा दायर किया गया था, जो फैसले के उस हिस्से के खिलाफ था जो उनके खिलाफ गया था।

15. अन्य तर्क यह थे कि 2011 के अंत में वकील में बदलाव हुआ था और 25.02.2012 को आरएफए नंबर में अपीलकर्ताओं की अपील से संबंधित कागजात के साथ सभी फाइलें नव नियुक्त वकील को भेज दी गई थीं। 2008 का 234 और उसके बाद, नव नियुक्त वकील ने निचली अदालत की फाइलें मांगी और 29.02.2012 को प्रासंगिक फाइलें नव नियुक्त वकील को भेज दी गईं। इसके बाद ही, उत्तरदाताओं को पता चला कि डायरी नंबर 118619 द्वारा आपत्तियों के बाद अपील पत्र वापस ले लिए गए थे। यह दावा किया गया था कि प्रतिवादी इस धारणा के तहत थे कि इसके पिछले वकील ने समय पर अपील दायर की थी और इसकी अपील भी उत्तरदाताओं की अपील के साथ टैग की गई थी। यह भी दावा किया गया कि जब प्रतिवादियों ने रिफिलिंग में देरी के मुद्दे को अपने पिछले वकील के सामने उठाया, तो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, कि पिछले वकील द्वारा उत्तरदाताओं को सौंपे गए रिकॉर्ड अधूरे थे और इसमें कुछ समय लगा। इसके लिए अधूरे रिकॉर्ड एकत्र करने थे और इस तरह रिफिलिंग के मामले में 1727 दिनों की देरी हुई जो अनजाने में हुई थी। उपरोक्त कथनों के आधार पर, यह प्रार्थना की गई कि अपील दोबारा दाखिल करने में 1727 दिनों की देरी माफ की जानी चाहिए।

16. उपरोक्त आवेदनों का अपीलकर्ताओं द्वारा 16.11.2013 को एक विस्तृत उत्तर दाखिल करके विरोध किया गया था, जिसमें बताया गया था कि आवेदन दाखिल करने में 9 दिनों की देरी के साथ-साथ रिफिलिंग में 1727 दिनों की देरी को माफ करने के लिए आवेदनों के समर्थन में दायर किए गए थे। भारी देरी की व्याख्या नहीं की, कि उत्तरदाताओं का यह दावा कि उन्हें 2012 तक दोषों के अनुपालन के लिए फाइलों की वापसी के बारे में पता नहीं था, एक गलत बयान था, रिफिलिंग में इतनी भारी देरी के साथ-साथ 9 की देरी भी हुई। दाखिल करने के दिनों में संबंधित वकील के हलफनामे का समर्थन नहीं किया गया था, कि अपीलकर्ताओं ने जब अपनी अपील दायर की थी तो वे फैसले के उस हिस्से के खिलाफ थे जिसके द्वारा 3,00,000/- रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। अपील दायर करते समय उत्तरदाताओं को अदालत में राशि जमा करने के लिए बाध्य किया गया था, क्योंकि लगभग पांच वर्षों तक ट्रायल कोर्ट द्वारा विशिष्ट प्रदर्शन की अनुमति न देने के संबंध में प्रतिवादियों से कुछ भी नहीं सुना गया था, अपीलकर्ताओं ने बहुत सुधार किया था उनकी संपत्ति में और, इसलिए, अपील दायर करने के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया था कि देरी को माफ करने से अपीलकर्ताओं पर बहुत गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप किया जा सकता है।

17. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी बताया कि अपील दायर करने में 9 दिनों की देरी के साथ-साथ रिफिलिंग में इतनी भारी देरी को माफ करते हुए, उच्च न्यायालय ने यह भी नहीं कहा है कि वह कारणों से संतुष्ट था आवेदनों के समर्थन में यह तथ्य पेश किया गया कि 50,000/- रुपये का जुर्माना लगाने के अलावा देरी को माफ करने का कोई कारण नहीं बताया गया। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि दाखिल करने में देरी के साथ-साथ रिफिलिंग में देरी को माफ करने के लिए आवेदन दाखिल करते समय अदालत में जाने में प्रतिवादियों का

दृष्टिकोण एक बहुत ही आकस्मिक दृष्टिकोण था और उनकी कार्यवाही में कोई प्रामाणिकता नहीं थी और इसलिए, आदेश उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की गई।

18. दूसरी ओर, प्रतिवादियों के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जयंत भूषण ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने 50,000/- रुपये की भारी लागत लगाकर देरी को माफ करते हुए अपने विवेक का प्रयोग किया है, इस न्यायालय को इस तरह के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उच्च न्यायालय द्वारा विवेक का प्रयोग करते हुए विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी तर्क दिया कि अपील दायर करने में देरी केवल 9 दिनों की थी और दोबारा दाखिल करने में हुई देरी को इतनी सख्ती से नहीं समझा जाना चाहिए और चूंकि अपीलकर्ता ने इसके खिलाफ अपनी अपील दायर की है। निचली अदालत का वही फैसला जो लंबित है और उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों की अपीलों को भी स्वीकार कर लिया है और दोनों पक्षों की अपीलों को गुण-दोष के आधार पर तय करके इसे अपीलकर्ताओं की अपीलों के साथ टैग कर दिया है, अपीलकर्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

19. इस प्रश्न पर संबंधित प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, हम पाते हैं कि अपीलकर्ताओं की ओर से की गई दलीलें सशक्त हैं। यह सच है कि अपील दायर करने में केवल 9 दिन की देरी हुई और अधिक देरी केवल अपील पत्रों को दोबारा दाखिल करने से संबंधित थी। लेकिन भले ही यह अपीलों को दोबारा दाखिल करने से संबंधित हो, इसका शुद्ध परिणाम यह है कि अपीलों को रिकॉर्ड में तभी लिया जा सकता है जब दोबारा दाखिल करने में इस तरह की देरी को माफ कर दिया जाए। इसलिए, यदि रिफ़ाइलिंग उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा दिए गए समय के भीतर की गई थी, तो संबंधित पक्ष या जिसे भी रजिस्ट्री में कागजात दाखिल करने का काम सौंपा गया था, किसी के साथ भी कोई दोष नहीं पाया जा सकता है। लेकिन जब रिफिलिंग के मामले

में लगभग पांच साल की भारी देरी हुई, तो यह निश्चित रूप से एक करीबी जांच की मांग करता है कि क्या कारण था जिसने संबंधित पार्टी को समय पर कागजात रिफिल करने से रोका ताकि रजिस्ट्री कागजात को संसाधित करने और पता लगाने में सक्षम हो सके। क्या अपीलों को क्रमांकित करने के उद्देश्य से कागजात सही थे।

20. मौजूदा मामले में, रीफ़िलिंग में देरी 1727 दिन थी। जैसा कि अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने सही बताया है, प्रतिवादियों ने 11.04.2008 को जांच शुल्क का भुगतान किया, जैसा कि उस तारीख के उच्च न्यायालय द्वारा जारी रसीद संख्या 73 में बताया गया है। जब अपील पत्र 06.09.2007 को दायर किए गए और जांच शुल्क का भुगतान 11.04.2008 को किया गया तो यह बिल्कुल स्पष्ट था कि इसके पंजीकरण के लिए अपील के कागजात का प्रसंस्करण अप्रैल 2008 के महीने में शुरू हुआ था। इसके बाद, यदि अप्रैल 2008 और मई 2012 के बीच उत्तरदाताओं या उसके वकील द्वारा जो भी दोषों का सुधार नहीं किया गया था, तो यह उत्तरदाताओं का परम कर्तव्य है कि वे रिफिलिंग में इतनी लंबी देरी को संतोषजनक ढंग से समझाएं। जब हम आवेदनों का संदर्भ लेते हैं अपीलकर्ताओं की ओर से दायर की गई याचिका में हमने पाया कि इस बारे में कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं था कि कैसे प्रतिवादियों को रजिस्ट्री द्वारा बताए गए दोषों को सुधारने और समय के भीतर अपील कागजात को फिर से दाखिल करने से अक्षम कर दिया गया था। उत्तरदाताओं ने केवल पिछले वकील पर दोष मढ़ने का प्रयास किया, जिसे सितंबर 2007 में अपील के कागजात दाखिल करने के लिए सौंपे गए थे। जैसा कि अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने बताया, इस बारे में कोई विवरण नहीं था कि इसे किसे सौंपा गया था। और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए कि दायर की गई अपीलें विचारण न्यायालय के उक्त फैसले के खिलाफ आगे के उपाय के लिए विधिवत पंजीकृत की गईं। वास्तव में अपील पत्र किसी भी न्यायालय शुल्क के भुगतान के बिना दायर किए गए थे। यह केवल अपीलकर्ताओं के रुख की पुष्टि करता है कि उत्तरदाताओं के दावे में कोई प्रामाणिकता नहीं थी और वे

विशिष्ट प्रदर्शन की राहत न देने के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने में गंभीरता से रुचि रखते थे। हम यह भी देखने में असफल रहे कि प्रतिवादी नंबर 1, जो निर्यात के कारोबार में शामिल एक सीमित कंपनी है, जिसका निश्चित रूप से अपना कानूनी विभाग होगा, कुछ लोगों को कागजात सौंपने के बाद यह दलील कैसे दे सकता है जिस वकील का नाम इस न्यायालय के समक्ष भी प्रकट नहीं किया गया था, उसने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई अनुवर्ती कार्यवाही करने की भी जहमत नहीं उठाई कि उसकी अपीलें उच्च न्यायालय में विधिवत पंजीकृत थीं। इस संदर्भ में कहावत विजिएंटिबस नॉन डॉर्मिएंटिबस जुरा सबवेनियंट (कानून उन लोगों की सहायता करता है जो सतर्क हैं, न कि उनकी जो अपने अधिकारों की अनदेखी करते हैं) वर्तमान मामले पर सटीक रूप से लागू होता है: उत्तरदाताओं ने केवल पिछले वकील पर दोष मढ़ दिया, जिनकी पहचान का खुलासा नहीं किया गया था। इसे पुनः दाखिल करने में 1727 दिनों की भारी देरी के बावजूद इसे माफ कर दिया जाना चाहिए क्योंकि अपील दायर करने में केवल 9 दिनों की देरी हुई थी।

21. हम प्रतिवादियों की ओर से उठाए गए ऐसे रुख का समर्थन करने के प्रति अपनी पूरी अनिच्छा व्यक्त करते हैं। इस संबंध में अपीलकर्ता(ओं) का यह दावा कि अपीलकर्ता(ओं) को गंभीर पूर्वाग्रह होगा, स्वीकार किये जाने योग्य है। अपीलकर्ताओं द्वारा उत्तरदाताओं के काउंटर पर दायर प्रत्युत्तर में, अपीलकर्ताओं ने बताया है कि कैसे उन्हें दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों से संपर्क करके संपत्ति के रखरखाव के लिए एक बड़ी राशि खर्च करनी पड़ी, इतनी बड़ी राशि वर्ष 2004 से आज तक हाउस टैक्स के माध्यम से 28,00,000/- रुपये तक खर्च किए गए और इस अवधि के दौरान संपत्ति में कई अन्य सुधार किए गए, जिसमें अपील दायर करने और दोबारा दाखिल करने के मामले में देरी हुई। उत्तरदाताओं द्वारा किया गया। इसलिए, यह सिद्धांत कि परिसीमा का कानून ठोस सार्वजनिक नीति पर आधारित है और इसलिए वास्तविक कारणों के अभाव में देरी की माफी के लिए आवेदनों को सख्ती से समझा जाना चाहिए,

महत्व रखता है। इस संदर्भ में तमिलनाडु मर्कंटाइल बैंक लिमिटेड (इसके अध्यक्ष द्वारा प्रतिनिधित्व) तूतीकोरिन बनाम तमिलनाडु दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम मदुरै के तहत अपीलीय प्राधिकरण और 1990 (1) एलएलएन 457 में रिपोर्ट की गई एक अन्य में मद्रास उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच का फैसला उपयोगी हो सकता है। करने के लिए भेजा। पैराग्राफ 14 और 17 हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं, जो इस प्रकार हैं:

> "14. हम विद्वान न्यायाधीश के इस तर्क से सहमत होने में असमर्थ हैं कि समय से परे कार्यवाही शुरू करने से आम तौर पर किसी भी वादी को लाभ नहीं होता है। यह सामान्य ज्ञान है कि किसी मामले में देरी करने से, विवाद में मामले से संबंधित सबूत गायब हो सकते हैं और बहुत अक्सर संबंधित पक्ष यह सोच सकता है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई है, प्रासंगिक रिकॉर्ड को संरक्षित करना अनावश्यक होगा। यदि कोई वादी कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत निर्धारित समय के बाद लंबे समय तक न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहता है, तो वह यह नहीं कह सकता है देरी से दूसरे पक्ष पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्षमा किया गया दूसरे पक्ष ने संभवतः यह सोचकर रिकॉर्ड नष्ट कर दिया होगा कि रिकॉर्ड प्रासंगिक नहीं होंगे क्योंकि मामले में आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसलिए देरी की माफ़ी के मामले को इस पूर्वधारणा के साथ देखना कि उस आवेदन में प्रतिवादी को देरी की माफ़ी से कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा, गलत होगा। हमारे विचार में, प्रत्येक मामले का निर्णय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए, देरी को माफ किया जाना चाहिए या नहीं, इस पर विचार करते समय देरी की लंबाई एक प्रासंगिक मामला है जिसे ध्यान में रखा जाना

चाहिए। यह किसी भी वादी के लिए खुला नहीं है कि वह कार्यवाही शुरू करने के लिए अपनी स्वयं की सीमा अवधि तय कर सके जिसके लिए कानून ने सीमा की अवधि निर्धारित की है।

17. .....एक बार जब यह माना जाता है कि एक पक्ष ने लंबे समय तक अपनी निष्क्रियता के कारण मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने का अधिकार खो दिया है, तो इसे गैर-जानबूझकर की गई देरी नहीं माना जा सकता है, और ऐसे में मामले की परिस्थितियों में उसे यह दलील देते हुए नहीं सुना जा सकता कि तकनीकी विचारों के मुकाबले पर्याप्त न्याय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमारा विचार है कि सीमा का प्रश्न केवल एक तकनीकी विचार नहीं है। परिसीमा के नियम सुदृढ़ सार्वजनिक नीति के सिद्धांतों और समता के सिद्धांतों पर आधारित हैं। क्या कोई वादी प्रतिद्वंद्वी की सनक और पसंद के अनुसार निर्धारित अवधि के लिए उसके सिर पर खतरा की तलवार अनिश्चित काल तक लटकाए रखने के लिए उत्तरदायी है?"

22. हम ईशा भट्टाचार्जी (सुप्रा) में इस न्यायालय के हालिया फैसले का भी उपयोगी उल्लेख कर सकते हैं, जहां देरी की माफी के लिए ऐसे आवेदनों से निपटने के दौरान कई सिद्धांतों को ध्यान में रखा गया था। अनुच्छेद 21 के सिद्धांत संख्या (iv), (v), (viii), (ix) और (x) को उपयोगी रूप से संदर्भित किया जा सकता है जो निम्नानुसार है:

"(iv) जानबूझकर देरी के कारण के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन वकील या वादी की ओर से घोर लापरवाही पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

(v) देरी की माफी मांगने वाले पक्ष के लिए प्रामाणिकता का अभाव एक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक तथ्य है।

(viii) अत्यधिक देरी और छोटी अवधि या कुछ दिनों की देरी के बीच एक अंतर है, क्योंकि पूर्वाग्रह का पूर्व सिद्धांत आकर्षित होता है जबकि बाद वाले के लिए यह आकर्षित नहीं हो सकता है। इसके अलावा, पहला सख्त दृष्टिकोण की मांग करता है जबकि दूसरा उदारीकरण की मांग करता है।

(ix) किसी पार्टी की निष्क्रियता या लापरवाही से संबंधित उसका आचरण, व्यवहार और रवैया ध्यान में रखे जाने वाले प्रासंगिक कारक हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मूल सिद्धांत यह है कि अदालतों को दोनों पक्षों के संबंध में न्याय के संतुलन के पैमाने पर तौलना आवश्यक है और उक्त सिद्धांत को मुक्त दृष्टिकोण के नाम पर पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है।

(x) यदि पेश किया गया स्पष्टीकरण मनगढ़ंत है या आवेदन में दिए गए आधार काल्पनिक हैं, तो अदालतों को सतर्क रहना चाहिए कि दूसरे पक्ष को अनावश्यक रूप से इस तरह के मुकदमे का सामना करने के लिए उजागर न किया जाए।"

23. जब हम उन सिद्धांतों को मामले में लागू करते हैं तो यह कहा जाना चाहिए कि अपील दायर करने में उचित परिश्रम न दिखाने में प्रतिवादियों की विफलता और दोबारा दाखिल करने में लगने वाले भारी समय को केवल अनुपस्थिति में ही समझा जा सकता है। कोई भी वैध स्पष्टीकरण, घोर लापरवाही और उत्तरदाताओं की ओर से प्रदर्शित सद्भावना की कमी के रूप में। इसके अलावा, जब प्रतिवादी उस तारीख के संबंध में उचित विवरण के साथ आगे नहीं आए हैं जब कागजात दोबारा दाखिल करने के

लिए लौटाए गए थे, समय पर कागजात दोबारा दाखिल न करने के लिए संतोषजनक कारण प्रस्तुत न करना और दाखिल करने के समय कोर्ट शुल्क का भुगतान करने में विफलता 06.09.2007 को अपील पत्रों की संख्या, वे कारण जिन्होंने प्रतिवादियों को अपील पत्रों के साथ न्यायालय शुल्क का भुगतान न करने से रोका और यह विवरण प्रस्तुत करने में विफलता कि उनका 'वकील' कौन था, जिसे पहले संचयी रूप से अपील दाखिल करने का काम सौंपा गया था विचार किया, प्रकट किया कि उसके दृष्टिकोण में प्रामाणिकता का पूर्ण अभाव था। यह भी कहा जाना आवश्यक है कि मौजूदा मामले में, निर्धारित समय के भीतर अपील पत्रों को दोबारा दाखिल न करना और लगभग 1727 दिनों की सीमा तक देरी की अनुमति देना, निश्चित रूप से कड़ी जांच की मांग करता है और इसे बिना स्पष्टीकरण के स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उचित कारण. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है, अदालतों को दोनों पक्षों के संबंध में न्याय के संतुलन के पैमाने को तौलना आवश्यक है और उदार दृष्टिकोण की आड़ में एक ही सिद्धांत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, भले ही वह रिफिलिंग से संबंधित हो। रिफिलिंग के मामले में 1727 दिनों की देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन दायर करने से संतोषजनक कारणों से भी कम कारण बताए बिना केवल यह नतीजा निकलता है कि प्रतिवादी देरी की माफी के मामले में न्यायालय द्वारा किसी भी रियायत के पात्र नहीं हैं। उत्तरदाताओं ने विशिष्ट प्रदर्शन के लिए याचिका दायर की थी और जब ट्रायल कोर्ट ने पाया कि समझौते के आधार पर विशिष्ट प्रदर्शन के लिए दावा सही था, लेकिन अपने विवेक का प्रयोग करते हुए विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राहत नहीं दी गई, बल्कि केवल नुकसान का भुगतान दिया गया और उत्तरदाताओं को वास्तव में अपील दायर करके विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें अत्यधिक परिश्रम दिखाना चाहिए था और उचित कारणों के साथ आगे आना चाहिए था जब इसकी अपील को पंजीकृत करने में पांच साल की भारी देरी शामिल थी।

24·. इसलिए, हम इसके दृष्टिकोण और उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश में पूरी तरह से सद्भावना की कमी पाते हैं, जिसमें बिना कोई कारण बताए, आकस्मिक तरीके से क्रमशः 9 दिनों और 1727 दिनों की फाइलिंग और रिफिलिंग में देरी को माफ कर दिया गया है। इसलिए स्वीकार्य कारणों को निलंबित नहीं किया जा सकता। अपीलों की अनुमति दी जाती है और आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है आरएफए नंबर 268/2012, 269/2012, 270/2012, 271/2012, 272/2012, 273/2012, 274/2012, 275/2012, 276/2012, 277/2012, 278/2012, 279/2012, 280/2012, 281/2012, 282/2012, 283/2012, 284/2012, 285/2012, 286/2012, 287/2012 , 288/2012 और 319/2012 में प्रतिवादियों की अपील स्वीकार करने का निर्देश को भी रद्द कर दिया गया है और खारिज कर दिया जाएगा। कोई लागत नहीं.

राजेंद्र प्रसाद

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।